जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 03.12.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने 03 अभियुक्तों को चोरी की स्कूटी सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

आज दिनांक 03.12.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्तगणो को चोरी की स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने अपना नाम 1- निगम पुत्र सुमन कुमार निवासी ग्राम बालापुर खेडी थाना नहटौर जनपद बिजनौर 2- विशाल पुत्र अशोक निवासी ग्राम लालगंज थाना लालगंज जनपद रायबरेली 3- विकास पुत्र भूदेव सिंह निवासी ग्राम हीरावाली थाना नगीना जनपद बिजनौर बताया।

अभियुक्तगणों से बरामद स्कूटी पर अंकित नंबर UP20CN1277 की जांच की गयी तो उक्त नम्बर टाटा पंच चार पहिया गाडी का होना पाया गया तथा स्कूटी के चैसिस नम्बर की जांच की गयी तो ज्ञात हुआ कि इस चैसिस नम्बर की स्कूटी चोरी के संबंध में थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार पर मु0अ0सं0 608/24 धारा 316(2) बीएनएस पंजीकृत है। उक्त स्कूटी के विषय में तीनों अभियुक्तगणों ने बताया कि हमने यह स्कूटी पिछले महिने हरिद्वार से डिस्पेन्सरी ग्राउण्ड से एक व्यक्ति से धोखा देकर ले ली थी। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 668/24 धारा 318(4)/317(2)/345(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता अभियुक्तगण –

1- निगम पुत्र सुमन कुमार निवासी ग्राम बालापुर खेडी थाना नहटौर जनपद बिजनौर।
2- विशाल पुत्र अशोक निवासी ग्राम लालगंज थाना लालगंज जनपद रायबरेली।
3- विकास पुत्र भूदेव सिंह निवासी ग्राम हीरावाली थाना नगीना जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की स्कूटी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

उ0नि0 अजीत सिह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
का0 1154 चरण दास थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
का0 2070 मोहित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
का0 671 जैकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना किरतपुर **दिनांक 03.12.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर वारंटी अभियुक्त इस्तेकार पुत्र अनीश नि0 मौ0 काजियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इस्तेकार पुत्र अनीश नि0 मौ0 काजियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर। (हिस्टीशीट सं0 100 (ए)

आपराधिक इतिहास इस्तेकार उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 78/2020 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 380/411/457 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 86/2020 धारा 380/411/457 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

3.मु0अ0सं0 91/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

4.मु0अ0सं0 298/2020 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 शिवकुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2.मुख्य आरक्षी 384 लालू यादव थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात **दिनांक – 03.12.2024**

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 163/2024 धारा 115(2)/191(2)/191(3)/109/352/351(2) बीएनएस व 07 क्रिमिनल एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.08.2024 को थाना नगीना देहात पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के ग्राम मौहल्लडवाला में दो पक्ष आपस में किसी बात को लेकर लाठी डन्डो आदि से मारपीट कर झगडा कर रहे है। स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो झगडा कर रहे दोनो पक्ष मौके से भाग गए। स्थानीय लोगो से की गई जानकारी व मौके पर झगडे की बनाई गई वीडियो से ज्ञात हुआ कि प्रथम पक्ष के 1- चेतन पुत्र रामदयाल 2- विकास 3- केशव 4- काकुल पुत्रगण चेतन 5- सौरव पुत्र भोपाल 6- सोलजर पुत्र शीशराम व 7- कमलेश पत्नी चेतन व दूसरे पक्ष के 1- कंचन पुत्र राकेश 2- कोमल पुत्र अतर सिंह 3- बल्ली पुत्र तेजपाल 4- नीरज 5- दुर्गेश पुत्रगण तारा 6- रोहित पुत्र पालेराम 7- गौरव पुत्र भीमसिंह 8- अनित पुत्र घनश्याम 9- तेजपाल पुत्र गुलभा 10- पूनम पत्नी तेजपाल 11- लक्ष्मण पुत्र भीम सिंह व 07-08 व्यक्ति अज्ञात आपस में झगडा कर रहे थे।

प्रकरण के संबंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 163/2024 धारा 115(2)/191(2)/191(3)/109/352/351(2) बीएनएस व 07 क्रिमिनल एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

थाना नगीना देहात पुलिस नें उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सौरभ उर्फ राजमोहन पुत्र भोपाल नि0 ग्राम मौहल्लडवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी की प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोटः- उपरोक्त अभियोग में 07 अभियुक्तगण 1.चेतन पुत्र रामदयाल, 2.काकुल पुत्र चेतन, 3.तेजपाल पुत्र गुलशा, 4.अनित पुत्र घनश्याम, 5.लक्ष्मण पुत्र भीम सिंह व 6.कमलेश पत्नी चेतन समस्त निवासीगण ग्राम मौहल्लडवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर 7. कंचन पुत्र राकेश निवासी ग्राम मौहल्लडवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

सौरभ उर्फ राजमोहन पुत्र भोपाल नि0 ग्राम मौहल्लडवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री ललित कुमार शर्मा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

2.मुख्य आरक्षी 737 सुभाष चन्द्र थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर